UPSR010009042026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) –उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या – 66/2026

राज्य बनाम. माता प्रसाद नाग आदि

दिनांक 15.07.2026

(1)– पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

(2)– विवेचक/थानाध्यक्ष सोनवा, विसुनदेव पाण्डेय द्वारा प्रार्थना पत्र ए–3 बावत् थाना सोनवा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 235/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी०एन०एस० व 8/18/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम 1– माता प्रसाद नाग पुत्र राम लखन, 2– रोहित नाग उर्फ सजल पुत्र माता प्रसाद नाग व 3– प्रवीण कुमार पुत्र इन्द्रजीत द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित सम्पत्ति को धारा 107 बी०एन०एस०एस० के प्रावधानों के अंतर्गत जब्तीकरण हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपर्युक्त मामले में वांछित अभियुक्तगण माता प्रसाद नाग व रोहित नाग उर्फ सजल द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी सम्पत्तियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण/कुर्क किये जाने का आदेश पारित करने की याचना है। घटना व अर्जित सम्पत्ति का विवरण निम्न है–

1– प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक 20.11.2025

2– मु०अ०सं०– 235/2025,

3– धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी०एन०एस० व 8/18/21 एन०डी०पी०एस०

4– पुलिस थाना– सोनवा,

5– जनपद श्रावस्ती,

6– नाम पता वादी– श्रीकान्त गुप्ता पुत्र स्व० शंकर लाल, हालपता औषधि निरीक्षक, जनपद श्रावस्ती, स्थायी पता ग्राम रीवन तहसील व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर।

7– घटना का संक्षिप्त विवरण– मुकदमा उपर्युक्त दिनांक 20.11.2025 को वादी मुकदमा

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.07.15 15:13:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्रीकान्त गुप्ता, औषधि निरीक्षक, जनपद श्रावस्ती के तहरीर के आधार पर थाना सोनवा पर मु०अ०सं०– 235/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी०एन०एस० बनाम माता प्रसाद नाग पुत्र राम लखन, पता नासिरगंज, धूमबोझी, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती बावत् मेसर्स अजय फार्मा रायबरेली द्वारा कोडीन युक्त औषधि सीरप फेन्सीपिक टी व फेन्सीपिक टी०पी० मेसर्स नाग मेडिकल स्टोर, नासिरगंज, धूमबोझी को बिल नम्बर T000870, T001433, T001451, APT–000030, T000106, APT–000194, APT–000209, APT–000212, APT–000221 क्रमशः दिनांक 18.11.2024, 28.03.2025, 31.03.2025, 16.04.2025, 02.05.2025, 17.07.2025, 01.08.2025, 13.08.2025, 29.08.2025 के द्वारा विक्रय किया जाना, जिसके क्रय विक्रय के सत्यापन हेतु दिनांक 19.11.2025 को वादी द्वारा उक्त फर्म के निरीक्षण के समय फर्म प्रो० माता प्रसाद नाग मौके पर उपस्थित नहीं थे तथा उनकी जगह उनका पुत्र रोहित नाग फर्म पर उपस्थित था। फर्म मालिक के सम्बन्ध में पूंछे जाने पर बताया गया कि किसी काम से बाहर गए हैं। फुटकर औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति मांगे जाने पर मौके पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर लाइसेन्स नं० यू०पी० 46200000648, यू०पी० 46210000648, जिसकी वैधता 31.12.2026 थी। निरीक्षण के समय मेसर्स अजय फार्मा, रायबरेली द्वारा जारी बिल नम्बर के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तथा कोडीन युक्त औषधि के स्टाक व क्रय विक्रय के सम्बन्ध में पूछा गया, तो बताया गया कि उपर्युक्त औषधि का भण्डारण शून्य है तथा फर्म द्वारा औषधि को बेचा जा चुका है। मौके पर मेसर्स अजय फार्मा के अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी व हस्ताक्षरित क्रय बीजक नहीं दिखाये जा सके अपितु उसकी जगह कम्प्यूटराइज्ड गुड्स रिसीप्ट नोट (P00070, P000076, P000070) क्रमशः दिनांक 29.09.2025, 03.10.2025 व 18.11.2024 बीजक प्रस्तुत किये गए, जिस पर फर्म की मोहर लगाकर रोहित नाग द्वारा हस्ताक्षर बनाये गए। मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी तथा उक्त औषधि का क्रय विक्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर कोडीन फास्फेट युक्त औषधि का क्रय–विक्रय न प्रस्तुत किये जाने के कारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(d) के अंतर्गत उक्त फर्म के क्रय–विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गयी। उल्लेखनीय है कि कोडीन युक्त सीरप का गैर चिकित्सीय प्रयोग नशे के रूप में किये जाने की प्रबल सम्भावना होती है। उपर्युक्त फर्म ने विभाग द्वारा प्रदत्त फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग कर कोडीन युक्त औषधियों को अधिक मुनाफा कमाने व सदोष लाभ

प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना औषधि प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1945 के नियमों का घोर उल्लंघन कर खुले बाजार में नशे के प्रयोगार्थ विक्रय किया गया है तथा अपनी मन मर्जी तरीके से क्रय बीजक पर सुधार किया गया। उक्त फर्म द्वारा बिना आवश्यक क्रय विक्रय अभिलेखों के कोडीन युक्त औषधियों को विक्रय करने का अपराध कारित किया गया है। विवेचना में यह पाया गया है कि नाग मेडिकल स्टोर प्रोपराइटर पर माता प्रसाद नाग का नाम अंकित है जबकि नाग मेडिकल स्टोर फर्म के खाता पर माता प्रसाद नाग के लड़के रोहित नाग के के०वाई०सी० हेतु प्रपत्र लगे हैं तथा खाता पर प्रोपराइटर रोहित नाग अंकित है। नाग मेडिकल स्टोर फर्म पर जी०एस०टी० रोहित नाग के नाम से लगी है। नाग मेडिकल स्टोर बन्द हो जाने के बाद बची हुई दवाइयों को बेचने व व्यापार चलाने के उद्देश्य से एक नया मेडिकल स्टोर तीनों अभियुक्तगण द्वारा संयुक्त रूप से मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले कर्मी प्रवीण कुमार के नाम पर नया मेडिकल स्टोर रमा हेल्थ केयर नाम से अपने ही घर में खोल लिया गया तथा दवाओं का बिल रमा हेल्थ केयर के नाम से काटे जाने लगे और उस पर भी जी०एस०टी० रोहित नाग की लगी होना पाया गया है। विवेचना से यह पाया गया कि माता प्रसाद नाग अपने बेटे रोहित नाग उर्फ सजल नाग व कर्मी प्रवीण कुमार के साथ षडयन्त्र कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कोडीन युक्त सीरफ को अवैध नशे के रूप में प्रयोग कर बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के अधिक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रय विक्रय, भण्डारण व परिवहन किया गया है तथा रोहित नाग ने नाग मेडिकल स्टोर के सेल बिल पर फर्जी हस्ताक्षर बनाया जाना पाया गया है। साक्ष्य संकलन से अभियोग उपर्युक्त में जुर्म धारा 61(2) बी०एन०एस० व 8/18/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट की वृद्धि करते हुए अभियुक्त रोहित नाग व प्रवीण कुमार का नाम प्रकाश में लाया गया। अभियुक्तगण माता प्रसाद नाग व रोहित नाग द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में धन अर्जित किया गया है।

8– एफ०आई०आर० में नामजद अभियुक्तों का विवरण – 1. माता प्रसाद नाग पुत्र राम लखन, पता नासिरगंज धूमबोझी, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती, 2. रोहित नाग उर्फ सजल पुत्र माता प्रसाद नाग, निवासी ग्राम नासिरगंज महादेवा, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती, 3. प्रवीण कुमार पुत्र इंद्रजीत वर्मा, निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर सेमरहनिया, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती।

9– नाम पता अभियुक्त, जिनके द्वारा आपराधिक कृत्य से सम्पत्ति अर्जित की गयी है– 1.

माता प्रसाद नाग पुत्र राम लखन, पता नासिरगंज धूमबोझी, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती, 2. रोहित नाग उर्फ सजल पुत्र माता प्रसाद नाग, निवासी ग्राम नासिरगंज महादेवा, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती।

10– अधिग्रहण की जाने हेतु चिन्हित सम्पत्ति का विवरण–

बैंक खाता संख्या 922010046242567 IFSC–– UTIB0004239 खाता धारक का नाम रोहित नाग, एक्सिस बैंक, शाखा भिनगा, जनपद श्रावस्ती एवं लिंक खाता में जमा धनराशि तथा प्रथम वाहन पंजीयन संख्या यू०पी० 46 डी० 9030 वाहन स्वामी का नाम माता प्रसाद नाग व्हिकल मेकर हाण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर इंडिया प्रा० लि० चेचिस नं० ME4JC671EF8101948 Engine no JC67E80101949 Model Dream CB 110 MD Colour Black Reg Date 23 June 2025 तथा दूसरे वाहन का डिटेल रजि० नं० यू०पी० 46 जे० 6001 वाहन स्वामी का नाम माता प्रसाद नाग व्हिकल क्लास मोटर कार व्हिकल माडल डटसन जीओ रिमिक्स एडिसन पेट्रोल रंग ब्लैक, चेचिस नं० MDHZBAAD0J2701826 Engine no HR12792988D Reg Date 31 oct 2018, 3. कार स्कार्पियो UP46Q9991 वाहन स्वामी रोहित नाग पुत्र माता प्रसाद नाग, 4. मोटरसाइकिल जावा UP46N8117 वाहन स्वामी रोहित नाग।

स्वामित्व या कब्जा/प्राधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

(3)– विवेचक के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति आमंत्रित करते हुए माता प्रसाद नाग व रोहित नाग उर्फ सजल को नोटिस जारी की गयी है, जिस पर उनके द्वारा आपत्ति 6ए इस आशय का प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीगण आपस में पिता पुत्र हैं व प्रवीण कुमार उनके यहां बहैसियत कर्मचारी कार्यरत है। जहां तक विवेचक/थानाध्यक्ष विसुनदेव पाण्डेय द्वारा नोटिस में दर्शाये गए मु०अ०सं० 235/2025 में बाद विवेचना उपर्युक्त नोटिस दिये जाने का प्रश्न है। उक्त नोटिस बलहीन है व बगैर किसी आधार के मिथ्या आरोप लगाते हुए दी गई है। प्रार्थी माता प्रसाद नाग विगत 30 वर्षों से दवा के व्यवसाय में कार्यरत है, जिसका प्रतिष्ठान नाग मेडिकल स्टोर के नाम से नासिरगंज में स्थित है। प्रार्थी की पत्नी विगत 22 वर्षों से शिक्षिका के पद पर है। प्रार्थी के दोनों बेटे क्रमशः आकाश नाग व रोहित नाग भी दवा के व्यवसाय में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं। प्रार्थी व उसके लड़कों द्वारा निर्धारित जी०एस०टी० व अन्य सम्बन्धित कर समयपूर्वक जमा किये जाते हैं। जिन वाहनों का नोटिस में उल्लेख किया गया है वह सभी वाहन मुकदमा पंजीकृत होने के काफी पूर्व से प्रार्थी के परिवार में हैं जो सम्बन्धित बैंक से फाइनेंस कराये गए हैं। प्रार्थी व उसके दोनों बेटों द्वारा

व्यवसाय के लिए करीब 50 लाख रुपये का लोन भी लिया गया है। जहां तक प्रार्थी व उसके परिवार के बैंक खातों का प्रश्न है। उसके सम्बन्ध में प्रार्थी (रोहित नाग) द्वारा खाता सीज किये जाने के बारे में लिखित रूप से पूछताछ की गई, जिसका आज तक सम्बन्धित बैंक द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रार्थी व उसके पूरे परिवार को आए दिन झूठे मुकदमों में परेशान किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में विगत वर्ष प्रार्थी के बेटे आकाश नाग का चालान थाना सोनवा की पुलिस द्वारा किया गया था, जिसमें रिमाण्ड के समय प्रार्थी के लड़के के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आख्या मांगी गई थी, जिसे निर्धारित समय बीत जाने के पश्चात् भी सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा न्यायालय पर दाखिल नहीं किया गया है। अतः उपर्युक्त नोटिस अपास्त किये जाने का आदेश पारित करने की याचना है।

(4)– पत्रावली का अवलोकन किया।

(5)– विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरोध में आपत्तिकर्तागण रोहित नाग उर्फ सजल व माता प्रसाद नाग ने अपनी आपत्ति में विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना किसी आधार के, बलहीन और मिथ्या आरोप लगाते हुये प्रस्तुत किया जाना बताया है। आपत्तिकर्तागण ने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि आपत्तिकर्तागण आपस में पिता पुत्र हैं तथा आपत्तिकर्ता माता प्रसाद नाग विगत 30 वर्षों से दवा के व्यवसाय में कार्यरत है तथा उसकी पत्नी 22 वर्षों से शिक्षिका के पद पर कार्यरत है तथा उसके दोनों बेटे आकाश नाग व रोहित नाग भी दवा के व्यवसाय में 10 वर्षों से कार्यरत हैं। उनके द्वारा अर्जित सम्पत्ति मुकदमा पंजीकृत होने के काफी समय पहले से है। साथ ही आपत्ति में यह भी कहा है कि उनके व उनके बेटों ने व्यवसाय के लिये 50 लाख रुपये का लोन भी ले रखा है तथा वाहन बैंक द्वारा फाइनेंस कराये गये हैं। इस प्रकार आपत्तिकर्तागण द्वारा विवेचक द्वारा कुर्क किये जाने वाली सम्पत्ति को अपने वैध आय से क्रय किया जाना एवं खाते में जमा धन को वैध आय का धन बताया गया है। आपत्तिकर्तागण ने अपने आपत्ति के साथ कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि यह स्पष्ट नहीं होता है कि आपत्तिकर्तागण ने 50 लाख रुपये का लोन लिया है तथा वाहन को किस बैंक से फाइनेन्स कराया है। इस प्रकार आपत्तिकर्तागण की आपत्ति प्रथम दृष्टया विश्वास के योग्य नहीं है। अतः आपत्ति बलहीन है। वाहन के क्रय किये जाने में व्यय धन के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक आधार प्रस्तुत न कर पाने के कारण प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि वाहन को क्रय किये जाने में जो धनराशि व्यय की गयी है एवं बैंक खाते में जो धनराशि जमा है वह आपराधिक कृत्य से अर्जित की

गयी है। अतः विवेचक का प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.04.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.04.2026 स्वीकार किया जाता है। विवेचक को प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अभियुक्तगण माता प्रसाद नाग व रोहित नाग उर्फ सजल द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी सम्पत्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण /कुर्क किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तद्नुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति निस्तारित की जाती है।

आदेश की एक प्रति विवेचक को सूचनार्थ प्रेषित हो।

दिनांक 15.07.2026

(अमित कुमार प्रजापति),
अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।